निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या /SR-148/2018-19

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय उप निबंधक, सितारगंज** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय उप निबंधक, सितारगंज के माह 04/2016 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री आशीष सिंह तड़ियाल, ले0प0 व श्री बी0बी0एम0 त्रिपाठी एवं श्री एस0एस0 दरियाल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 20.02.2019 से 27.02.2019 तक श्री पी0के0 गुप्ता लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **(1)परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री पी.के.गुप्ता एवं श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 05.05.2016 से 09.05.2016 तक श्री राज कुमार, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह --- से 03/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जाँच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे राजस्व हेतु माह 04/2016 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** -सितारगंज एवं खटीमा का क्षेत्र

3. (ii) (अ) **राजस्व विवरण**

विगत वर्षो मे कार्यालय (आबकारी विभाग) द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (रू लाख में)
2015-16	1414.06
2016-17	1225.06
2017-18	1341.00

(ii)(ब) बजट का विवरण:-विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:(` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)`	बचत (-)`
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `		
2015-16								
2016-17					शून्य			
2017-18								

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत है:

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
ऐसी कोई योजना नहीं है।					

(iii)इकाई को बजट आवंटन शासन द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई -A--श्रेणी की है।

(iv)विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:

सचिव

महानिरीक्षक निबन्धन

अपर महानिरीक्षक निबन्धक

जिला निबन्धक

सहायक महानिरीक्षक निबन्धन

व्यैक्तिक सहायक

मुख्य निबन्धन लिपिक

अनुसेवक

उपनिबन्धक

निबन्धन लिपिक

अनुसेवक

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधि: लेखापरीक्षा में तहसील सितारगंज एवं खटीमा का राजस्व प्राप्ति को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय उप निबंधक, सितारगंज** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) **विस्तृत जांच हेतु माह का चयन** :-

राजस्व: माह 10/2016, 03/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

व्यय: माह --------------- को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(vii) योजना का चयन :- लागू नहीं ।

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एवं लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग 2(ख)

प्रस्तर-1 आवासीय दर से मूल्यांकन न किए जाने के कारण राजस्व क्षति ₹17647/-

कार्यालय जिलाधिकारी/कलेक्टर उधमसिंहनगर द्वारा निर्गत मूल्यांकन सूची दिनांक 04 जनवरी 2016 के अनुसार भूमि एवं भवनों (संपत्ति) की दरों का स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क हेतु मूल्यांकन किया जायेगा।

उप निबंधक सितारगंज के अभिलेखों की लेखा परीक्षा में पाया गया कि श्रीमती दलवीर कौर पत्नी श्री सुरजीत सिंह बेदी निवासी रमपुरा सितारगंज द्वारा एक ग्राम रमपुरा वार्ड नम्बर 10 तहसील सितारगंज पर स्थित आवासीय प्लाट 73.18 वर्गमीटर अपनी पुत्र वधू श्रीमती मनजीत कौर पत्नी श्री हरविंदर सिंह को एक सम्पत्ति दान की गयी थी। जो जिल्द संख्या 1000 विलेख पत्र संख्या 2517 दिनांक 17.05.16 को पंजीकृत है। दान ग्रहीता द्वारा सम्पत्ति का सरकारी मूल्यांकन ₹879000/-पर ₹8800/- स्टाम्प अदा किया गया था।

विलेख पत्र की जांच में पाया गया कि उक्त भूमि धारा 143 के अंतर्गत अकृषक दिनांक 05.02.2016 को हुई थी जिसमें स्पष्ट अंकित किया गया था कि इस रकवे में भवन बना हुआ है। इसलिए उक्त सम्पत्ति का मूल्यांकन भवन के रूप में किया जाना अपेक्षित था जो इस प्रकार है:-

मूल्यांकन = भूमि का क्षेत्रफल* भूमि की दर = 73.18 *14000 =1024520/-

निर्मित क्षेत्रफल * निर्मित की दर = 73.18 *12000 = 878160/-

देय स्टाम्प शुल्क =1902680/- (1024520+878160) पर 1%= 19027

अद किया गया स्टाम्प = ₹ 8800/-

कमी स्टाम्प = ₹ 10227/-

निबन्धन शुल्क = ₹ 25000/-

अदा किया गया निबन्धन शुल्क = ₹ 17580/-

कमी निबन्धन शुल्क = ₹ 7420/-

उक्तानुसार क्रेता द्वारा स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन शुल्क ₹ 17647/- (₹ 10227+₹ 7420) कम दिये जाने के कारण इस पर नियमानुसार अधिकतम दस गुना तक अर्थदण्ड भी आरोपणीय है।

विभाग के संज्ञान में लाये जाने पर विभाग द्वारा प्रकरण की जांच करने हेतु उच्चाधिकारियों को संदर्भित करने का आश्वासन दिया गया है।

अत: उक्त स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन शुल्क कमी ₹17647/- का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2(ब)

प्रस्तर-2 व्यावसायिक दर से मूल्यांकन न किए जाने के कारण राजस्व क्षति ₹ 1.36 लाख।

कार्यालय जिलाधिकारी/कलेक्टर उधमसिंहनगर द्वारा संशोधित मूल्यांकन सूची दिनांक 16 जून 2016 के अनुसार भूमि एवं भवनों (संपत्ति) की दरों का स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क हेतु मूल्यांकन किया जायेगा।

उप निबंधक सितारगंज के अभिलेखों की लेखा परीक्षा में पाया गया कि श्रीमती अनुज गर्ग पत्नी मनोज गर्ग रमपुरा तहसील सितारगंज द्वारा श्री अमरजीत सिंह, श्री कुलवंत सिंह पुत्र श्री हरभजन सिंह पंडर तहसील सितारगंज जिला उधम सिंह नगर से बार्ड न0 7 रमपुरा नगर पालिका सितारगंज पर स्थित एक सम्पत्ति क्रय की गयी थी। जिसका 160.13 वर्गमीटर भूमि में निर्माण 32.90 वर्गमीटर (व्यावसायिक), 127.23 वर्गमीटर (आवासीय) दर्शाते हुये जिल्द संख्या 1017 विलेख पत्र संख्या 3246 दिनांक 23.06.2016 को पंजीयन किया गया था। क्रेता द्वारा सम्पत्ति का सरकारी मूल्यांकन ₹ 4645000/-पर ₹ 201100/- स्टाम्प अदा किया गया था।

विलेख पत्र की जांच में पाया गया कि क्रेता द्वारा क्रय की गयी संपत्ति किच्छा रोड पर स्थित है। प्रस्तुत फोटो में तीन दुकान प्रदर्शित होती है और आवासीय स्थल में जाने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। उक्त से स्पष्ट होता है कि यह संपत्ति व्यावसायिक है, जिसका मूल्यांकन निम्नानुसार होना अपेक्षित था:-

मूल्यांकन = भूमि का क्षेत्र फल व्यावसायिक दर= 160.13*46000=₹ 7365980/-

अर्थात ₹ 7366000/-

देय स्टाम्प=	₹ 2500000/- पर 3.75%	=	₹ 93750/-
	₹ 4866000/- पर 5%	=	₹ 243300/-
कुल देय स्टाम्प=		=	₹ 337050/-
अदा किया गया स्टाम्प =		=	₹ 201100/-
कमी स्टाम्प=		=	₹ 135950/-

उक्तानुसार क्रेता द्वारा ₹ 135950/- स्टाम्प कम दिये जाने के कारण इस पर नियमानुसार अधिकतम दस गुना तक अर्थदण्ड भी आरोपणीय है।

विभाग के संज्ञान में लाये जाने पर विभाग द्वारा प्रकरण की जांच करने हेतु उच्चाधिकारियों को संदर्भित करने का आश्वासन दिया गया है।

अतः उक्त स्टाम्प कमी ₹ 1.36 लाख का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रारम्भ की स्थिति		निस्तारण		अवशेष	
	2 क	2 ब	2 क	2 ब	2 क	2 ब
195/2002-03	**01**	**-**	**-**	-	**01**	**-**
50/2008-09	**01,02**	**01,02**	**-**	-	**01,02**	**01,02**
23/2010-11	**-**	**01,02**	**-**	-	**-**	**01,02**
19/2013-14	**01,02**	**01,02**	**02**	-	**01**	**01,02**
19/2014-15	**01**	**01, stan01**	**-**	-	**01**	**01, stan01**

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी
19/2013-14	भाग-2(क) प्रस्तर-2	प्रस्तुत	प्रस्तर पूर्व में निस्तारित

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य - टिप्पणी शून्य**

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय उप निबंधक सीतारगंज** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:

   शून्य टिप्पणी

2. **सतत् अनियमितताएः**
   टिप्पणी- शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्री डा. आर.सी. पन्त	उपनिबन्धक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय उप निबंधक सीतारगंज** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
राजस्व क्षेत्र